"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 438] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 18 अगस्त 2015— श्रावण 27, शक 1937

कार्यालय, नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन, छत्तीसगढ़ रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 10 अगस्त 2015

आदेश

क्रमांक /खाऔ/प्रशा./2012/एफ 25-7/2012/नौ/55. — खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विक्रय प्रतिषेध और निर्बंधन) विनियम, 2011 के विनियम 2.3.4 के अनुसरण में, गुटखा एवं पान मसाला, जिसमें तम्बाकू या निकोटिन घटक विद्यमान हो, जो बाजार में किसी भी नाम से उपलब्ध हो, के विनिर्माण, भण्डारण, विक्रय या वितरण को आदेश क्रमांक खाऔप्रशास/छ./2012/एफ 25-7/2012/नौ/55, दिनांक 25-07-2012 के द्वारा एक वर्ष के लिए प्रतिषेध किया गया था, जिसमें अधिसूचना क्रमांक खाऔप्रशास/छ./2012/एफ 25-7/2012/नौ/55, दिनांक 22-07-2013 द्वारा वृद्धि की गई तथा जिसमें आदेश क्रमांक खाऔप्रशास/छ./2012/एफ 25-7/2012/नौ/55, दिनांक 20-08-2014 द्वारा दिनांक 24-07-2015 तक क्रमवार पुन: वृद्धि की गई थी. प्रतिषेध अवधि दिनांक 24-07-2015 को समाप्त हो गई है.

अतएव, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 (2006 का सं. 34) की धारा 30 की उप-धारा (2) के खण्ड (क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विक्रय प्रतिषेध और निर्बंधन) विनियम, 2011 के विनियम 2.3.4 के अनुक्रम में, एतद्द्वारा, गुटखा एवं पान मसाला, जिसमें तम्बाकू या निकोटिन घटक विद्यमान हो, जो बाजार में किसी भी नाम से उपलब्ध हो, के विनिर्माण, भण्डारण, विक्रय या वितरण को छत्तीसगढ़ राज्य में लोक स्वास्थ्य हित को देखते हुए दिनांक 25-07-2015 से आगामी एक वर्ष के लिये प्रतिषेध करता है.

हस्ता./-
(प्रताप सिंह)
आयुक्त,
खाद्य सुरक्षा, छत्तीसगढ़.

नया रायपुर, दिनांक 10 अगस्त 2015

क्रमांक /खाऔ/प्रशा./2012/एफ 25-7/2012/नौ/55. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 10-08-2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(प्रताप सिंह)
आयुक्त,
खाद्य सुरक्षा, छत्तीसगढ़.

Raipur, the 10th August 2015

ORDER

No./FDA/Chh./2012/F 25-7/2012/IX/55. — In pursuance of regulation 2.3.4 of the Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on Sales) Regulation, 2011, Manufacture, Storage, Sale or Distribution of gutkha and panmasala containing tobacco or nicotine as ingredients, by whatsoever name it is available in the market, was prohibited for one year vide Order No./FDA/Chh./2012/F 25-7/2012/Nine/55, dated 25-07-2012, extended by Notification No./FDA/Chh./2012/F 25-7/2012/Nine/55, dated 22-07-2013 and which was further extended upto 24-07-2015 vide Order No./FDA/Chh./2012/F 25-7/2012/IX/55, dated 20-08-2014 respectively. The prohibition duration ended on 24-07-2015.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred under clause (a) of sub-section (2) of Section 30 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (No. 34 of 2006) and in furtherance of regulation 2.3.4 of the Food Safety and Satandards (Prohibition and Restrictions on Sales) Regulation, 2011, Manufacture, Storage, Sale or Distribution of gutkha and panmasala containing tobacco or nicotine as ingredients, by whatsoever name it is available in the market, is hereby prohibited for one year from 25-07-2015 in the State of Chhattisgarh, in the interest of Public Health.

Sd/-
(Pratap Singh)
Commissioner,
Food Safety, Chhattisgarh.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2015.